बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ0स0 :–2 / अ0प्र0–1–53 / 2022 513 / पटना, दिनांक :– 15-3-23

श्री अशोक कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज के द्वारा कार्य प्रमंडल, पालीगंज अन्तर्गत पदस्थापन काल में अग्रिम लेने के उपरान्त जिला कल्याण मद् अन्तर्गत कुल रू० 12,29,096 / –(बारह लाख उन्नतीस हजार छयान्वे रूपये मात्र) एवं कृषि कला एवं संस्कृति मद् अन्तर्गत रू० 88,382 / –(अठासी हजार तीन सौ बेरासी रूपये मात्र) कुल राशि रू० 13,17,478 / –(तेरह लाख सतरह हजार चार सौ अठहत्तर रूपये मात्र) इनके पास असमायोजित लंबित रही। मामले से संबंधित अग्रिम इनके द्वारा वर्ष–2010–11 में ही प्राप्त की गई थी। उक्त शेष राशि के समायोजन / जमा करने हेतु प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा पत्राचार किये जाने तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद भी न तो राशि समायोजित की गयी न ही वापस किया गया। अंततः सर्टिफिकेट केस दायर करने के पश्चात् इनके द्वारा उक्त राशि प्रमंडल को जून 2022 में वापस किया गया।

2. उक्त मामले में श्री कुमार के पास एक लंबी अवधि तक सरकारी राशि अनुपयोगी रूप से लंबित रही। इसके फलस्वरूप योजनाएँ ससमय पूर्ण नहीं हो पायी। साथ ही अनावश्यक विवाद का सामना करना पड़ा। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री कुमार का उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राशि का गबन के असफल प्रयास के साथ–साथ कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

3. उक्त आरोपों पर मामले के समीक्षोपरान्त श्री कुमार को दोषी मानते हुए तथा इनकी सेवा को असंतोषजनक मानते हुए विभागीय पत्रांक 220 अनु0 दिनांक 20.01.2023 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत पेंशन से यथोचित कटौती करने के बिन्दु पर श्री कुमार को पॉच दिनों के भीतर कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया।

4. श्री कुमार से कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर निर्धारित अवधि के अंदर अप्राप्त रहने के कारण मामले के समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा उक्त राशि को लगभग 11 वर्षों तक अनाधिकृत रूप से अपने पास रखा गया। स्पष्टतः यह राशि इतनी अवधि में दोगुनी हो जाती। सरकारी राशि अनुपयोगी रूप से लंबित रहने के कारण योजनाएँ ससमय पूर्ण नहीं हो सकी। स्पष्टतः श्री कुमार उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राशि का गबन के असफल प्रयास के साथ–साथ कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। साथ ही कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर श्री कुमार से अप्राप्त रहने के कारण यह माना गया कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वें आरोपों को स्वीकार करते हैं।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री अशोक कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज के विरूद्ध इनके पेंशन से 50 (पचास) प्रतिशत की कटौती अगले 10 (दस) वर्षों तक करने के दंड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

6. अतः श्री अशोक कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रश्नगत् मामले में प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) पेंशन से 50 (पचास) प्रतिशत की कटौती अगले 10 (दस) वर्षों तक।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/ 7/3/2023
(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–53/2022 514 /पटना, दिनांक :– 15.3.23

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 7/3/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–53/2022 514 /पटना, दिनांक :– 15.3.23

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पालीगंज/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–05, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री अशोक कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज, सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता :– राजीव नगर, रोड नं0–24J, नियर हवेली मैरेज गार्डेन,पोस्ट–केसरीनगर, पटना, पिन कोड–800024 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 7/3/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–53/2022 514 /पटना, दिनांक :– 15.3.23

प्रतिलिपि:– माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव को माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के अवलोकनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/ 7/3/2023
विशेष सचिव